

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक चूरु (राज.)

क्रमांक : 3377-91

दिनांक : 11/06/2022

विज्ञप्ति

मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनतर्गत लागू "इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban)" के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु जिले की समस्त नगर निकायों यथा नगरपरिषद चूरु, सुजानगढ़, नगरपालिका रतनगढ़, राजगढ़, सरदारशहर, राजलदेसर, बीदासर, तारानगर, रतननगर एवं छपर हेतु निम्नानुसार (कार्मिक विभाग की अधिसूचना No. F117(4)DOP/A-2?2014 दिनांक 11.01.2022 अनुसार) पदों के लिए संविदा पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं :-

क्र. सं.	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता	मासिक मानदेय	पदों की संख्या
01	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	सिविल अभियान्त्रिकी में स्नातकोत्तर/ स्नातक डिग्री।	40000/-	10
02	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	सिविल अभियान्त्रिकी में डिग्री/डिप्लोमा	30000/-	22
03	लेखा सहायक	बी.कॉम/सी.ए. इन्टरमिडियेट (आई.पी.सी.)/ICWA(इन्टर)/कम्पनी सेक्रेटरी (इन्टर)	25000/-	20
04	MIS मैनेजर	BCA	25000/-	12
05	शहरी रोजगार सहायक	स्नातक + RSCIT कोर्स उत्तीर्ण	15000/-	26

इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन मय प्रमाणित शैक्षणिक/जाति प्रमाण पत्र के दस्तावेजों सहित दिनांक 20.06.2022 को 6.00 पी.एम. तक कार्यालय समय में कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक चूरु व्यक्तिशः अथवा ई-मेल dmchuru@gmail.com पर भिजवा सकते हैं। विज्ञप्ति से सम्बन्धित अन्य सूचनाएँ/निर्देश जिला वेब साईट churu.rajasthan.gov.in तथा dm-chu-rj@nic.in पर प्राप्त की जा सकती है। इस सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेजों की स्वः प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न की जावे।

संलग्न - शर्तें

जिला कलक्टर एवं
जिला परियोजना समन्वयक,
चूरु

क्रमांक : 3377-91

दिनांक : 11/06/2022

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान् निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर
3. उपनिदेशक (क्षे.) स्थानीय निकाय विभाग बीकानेर
4. आयुक्त/अधिशोषी अधिकारी नगरपरिषद/नगरपालिका समस्त जिला चूरु
5. सम्पादक राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर चूरु को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अपने आगामी अंक में कम से कम स्पेश में करवाया जाना सुनिश्चित करे। भुगतान डीपीआर में स्वीकृत दर के अनुसार देय होगा। (राज्य सरकार)

जिला कलक्टर एवं
जिला परियोजना समन्वयक,
चूरु

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक चूरु (राज.)

शर्तें :-

1. संविदा भर्ती पूर्णतया मैरिट के आधार पर होगी इसके लिए साक्षात्कार हेतु कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।
2. संविदा अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदनों के आधार पर संविदा पदों की पदवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मैरिट तैयार की जावेगी।
3. कनिष्ठ तकनीकी सहायक हेतु 80 प्रतिशत पद पर डिग्री धारियों तथा 20 प्रतिशत पद डिप्लोमा धारियों से भरे जावेंगे।
4. संविदा नियुक्ति प्रथमतः 31.03.2023 तक प्रभावी रहेगी।
5. चयनोपरान्त एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही निकाय में अनुबंध किया जावेगा। एक से अधिक अनुबंध करने पर संविदा नियुक्ति अनुबंध स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। चयनित अभ्यर्थी का पदस्थापन उपरोक्तानुसार जिला चूरु की किसी भी नगरपरिषद/पालिका में जरिये लॉटरी से किया जावेगा। चयनित अभ्यर्थी स्थान विशेष पर पद स्थापन की मांग नहीं कर सकेगा। लॉटरी द्वारा आवंटित स्थान पर कार्य ग्रहण नहीं करने पर 03 दिवस पश्चात आरक्षित सूची (वेटिंग लिस्ट) से अभ्यर्थी को संविदा पर नियुक्ति दी जावेगी।
6. शहरी रोजगार सहायक संविदा पद हेतु स्नातक + RSCIT कोर्स के प्राप्तांकों के आधार पर की जायेगी परन्तु मैरिट लिस्ट का संधारण केवल स्नातक डिग्री के प्राप्तांक के आधार पर किया जावेगा।
7. संविदा भर्ती वरियता के आधार पर की जावेगी तथा पदवार सभी पदों के लिए कुल पदों का क्रमशः 20 प्रतिशत पदों की प्रतिक्षा सूची तैयार की जावेगी।
8. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.01.2022 के क्रम में संविदा भर्ती के पदों का आरक्षण/रोस्टर एकीकृत रूप से जिला स्तर पर रखा जायेगा ना कि प्रत्येक नगर निकाय के स्तर पर अर्थात् संविदा भर्ती की यूनिट जिला (DPC) होगा ना कि नगरीय निकाय।
9. संविदा से भरे जाने वाले पदों की भर्ती जिले की समस्त स्थानीय निकायों के संविदा पदों की पदवार गणना कर जिला स्तर पर ही की जावेगी, जिसमें संविदा भर्ती नियम 2022 के नियम 10 के अनुसार प्रावधिक आरक्षण प्रावधानों की पालना की जावेगी। पारदर्शिता हेतु चयन उपरांत इनका आवंटन स्थानीय निकायों को लॉटरी के माध्यम से किया जावेगा ताकि किसी भी प्रकार के विवेकाधिकार का स्थान नहीं हो।
10. संविदा भर्ती किये जाने के उपरान्त नगरीय निकायों का आवंटन कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक द्वारा पदवार वर्गानुसार लॉटरी से किया जावेगा।
11. आयु - न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष (दिनांक 01.06.2022 तक) एवं कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 11.01.2022 के अनुसार वर्ग की पात्रता अनुसार छूट देय होगी।
12. उक्त संविदा कार्मिकों की भर्ती Rajasthan Contractual Hiring to Civil Post Rules 2022 के अन्तर्गत विहित निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर संविदा पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी।
13. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी। आरक्षण हेतु सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। आयु का निर्धारण 10वीं कक्षा की अंकतालिका/जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर होगा। चरित्र प्रमाण पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ ही विवाह/संतान सम्बन्धी प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज जो भी आवश्यक हो आवेदन पर के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं तथा संविदा नियुक्ति के समय दस्तावेजों की मूल प्रतियां लानी आवश्यक होगी, अन्यथा संविदा नियुक्ति नहीं दी जावेगी।
14. आवेदन की सभी प्रविष्टियां पूर्ण होनी आवश्यक है तथा तदनुसार सभी प्रमाण पत्रों की स्वयं प्रमाणित फोटों प्रतियां संलग्न होने आवश्यक है, अपूर्ण आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
15. संविदा कार्मिक की सेवाएं संतोषप्रद नहीं होने पर संविदा से पृथक किया जा सकेगा।
16. किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति का होगा।
17. उपरोक्त संविदा भर्ती के लिए कोई आवेदन शुल्क देय नहीं होगा।


जिला कलक्टर एवं
जिला परियोजना समन्वयक,
चूरु

प्रारूप

आवेदन का प्रारूप

इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

जिला :-

आवेदक का नाम :-					
लिंग (पुरुष/स्त्री)					
पिता/पति का नाम :-					
आवेदक की जन्म तिथि :-					
मूल निवासी :-					
पद जिसके लिए आवेदन :-					
आवेदक की शैक्षिक योग्यता :-					
अनुभव :-					
वर्ग :-					
मोबाईल नम्बर :-					
ई-मेल आई.डी. :-					
शैक्षणिक स्तर	वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय	प्राप्तांक	प्रतिशत	
माध्यमिक					
सी. सैकण्डरी					
डिग्री/डिप्लोमा					
अन्य योग्यता					

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम मय पत्र व्यवहार का पता

शपथ ग्रहिता

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ सत्य हैं एवं कोई भी तथ्य छुपाये नहीं गये हैं।

हस्ताक्षर

(राज.)

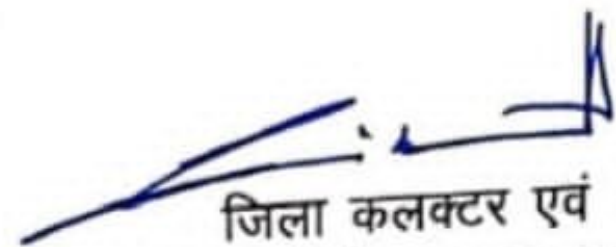
क्रमांक : 3442-59

दिनांक : 13/06/2022

संशोधित आदेश

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक चूरु के द्वारा विज्ञप्ति क्रमांक 3377-91 दिनांक 11.06.2022 को जारी की गई थी, जिसमें ई-मेल आई-डी dmchuru@gmail.com के स्थान पर dm-chu-rj@nic.in व वेबसाइट churu.rajasthan.gov.in पढ़ा जावे, साथ ही उक्त विज्ञप्ति से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु नगरपरिषद चूरु में कार्यालय समय में पूर्णिमा यादव, अधिशाषी अभियन्ता एवं प्रभारी, विकास शाखा नगरपरिषद चूरु से सम्पर्क किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि दिनांक 20.6.2022 से बढ़ाकर दिनांक 22.6.2022 की जाती है। साथ ही आवेदन-पत्र जिला कलक्टर कार्यालय, चूरु के साथ-साथ नगर परिषद, चूरु के कमरा नं. 7 में भी जमा करवाये जा सकेंगे।



जिला कलक्टर एवं
जिला परियोजना समन्वयक,

चूरु

दिनांक : 13/06/2022